न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 14/2023

अपीलार्थी

श्रीमती पुष्पाकुंवर पत्नी शैतानसिंह, जाति–चारण, निवासी–उड, तह. व जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, अपीलार्थी की ओर से
(2) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 08 अप्रेल, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 36/2022 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 25–5–2023 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 04–4–2025 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आढा ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिचारी मानते हुए अपीलार्थी को मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट पर बिना किसी आधार के अपीलार्थी को विवादित भूमि पर संवत् 2079 में पक्की दीवार मय टीनशेड बनाकर अतिचारी मानने में कानूनन व वाक्यातन गलती की हैं। अपीलार्थी की विवादित भूमि से लगती हुई खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है तथा उक्त भूमि का सीमा ज्ञान नहीं हुआ है। ग्राम उड में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध के समय नक्शों में बडा हेरफेर करने के कारण मौके व रेकर्ड की स्थिति में भारी भिन्नता हुई है एवं इस संबंध में माननीय उच्च उच्च न्यायालय, जोधपुर में रीट लम्बित है, लेकिन उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड से यह प्रमाणित नहीं होते हुए भी विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा किस तरह से था, अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमी होना मानने में कानूनन व वाक्यातन गलती कारित की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सिर्फ पटवारी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतीक्रमी मानते हुए कुछ असामाजिक तत्वों जिनके साथ अपीलार्थी के संबंध अच्छे नहीं है उनके द्वारा शिकायत करने से मौके पर जाकर मौका फर्द बनाई गई और अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण संख्या 36/2022 दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। उक्त उपस्थिति के बाद अपीलार्थी के विरोधी हनुमानसिंह पुत्र जगदीशसिंह, निवासी–उड ने अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया था और उक्त प्रार्थना पत्र का

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला * सिरोही *

अपीलार्थी ने जवाब भी प्रस्तुत किया था, बावजूद जवाब प्रस्तुती अधीनस्थ न्यायालय ने हनुमानसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. को निर्णित नहीं कर, अपीलार्थी का मुल प्रार्थना पत्र में जवाब लिये बिना मुल प्रकरण में ही दिनांक 25.05.2023 को निर्णय पारित करने में एवं अपीलार्थी को विवादित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश देने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है। अपीलार्थी को बिना सुने एवं जवाब पर रेकर्ड पर लिये बिना निर्णय करने से अपीलार्थी को नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धांत से वंचित होना पडा है। विवादित भूमि खुली जमीन रास्ता हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं माना जा सकता हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच पडताल किए अडौस पडौस वालों के बयान लिए बिना ही उक्त आदेश व निर्णय दिनांक 25.05.2023 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपनी तरफ से बचाव में जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलार्थी को उसकी तरफ से साक्ष्य का अक्सर दिए बिना एवं बचाव में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना ही पटवारी के एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय दिनॉक 25.05.2023 पारित किया है, जो कानूनन गलत है एवं इससे अपीलार्थी के अधिकारों का हनन हुआ है। यह कि विवादित भूमि के लगते हुए अपीलार्थी के खातेदारी कब्जे—काश्त की कृषि भूमि आई हुई है एवं भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध के समय ग्राम उड के नक्शों में हेरफेर करने से मौके व रेकर्ड की स्थिति में भिन्नता आई है। यह कि अपीलार्थी की खातेदारी कब्जे—काश्त की भूमि भू प्रबन्ध के पूर्व से नक्शें में भू प्रबन्ध के बाद वाले नक्शें की तुलना में अधिक थी, किन्तु भू प्रबन्ध के बाद वाला नक्शा तैयार करते समय त्रृटि हुई है जिससे अपीलार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व नक्शें में कम हो गई जो आज भी राजस्व नक्शें में कम ही दर्ज है। जिसकी पुष्टि भू अभिलेख निरीक्षक, जावाल व पटवारी हल्का उड की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 28.7.2023 से होती है, जिसकी व नक्शें की छाया प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध के समय राजस्व नक्शें में हुई त्रृटि को दूरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका अन्तिम रुप से अभी तक निस्तारण नही हुआ है जो अभी तक न्यायालय में लम्बित है। भू प्रबन्ध के समय राजस्व नक्शें में हुई उक्त त्रृटि की दुरस्ती के प्रकरण का सक्षम न्यायालय से जब तक अन्तिम रुप से निस्तारण नही हो जाता, तब तक अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी कानूनन नही माना जा सकता है, क्योंकि अपीलार्थी अपने खातेदारी भूमि पर काबिज है। केवल मात्र भू प्रबन्ध के समय हुई उक्त त्रृटि के आधार पर अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का जो आदेश पारित किया है, वह किसी भी रुप में न्यायसंगत नही है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25—5—2023 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि पटवारी हल्का, उड द्वारा संवत 2079 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम उड, पटवार हल्का उड के खसरा संख्या 203 रकबा 0—0040 हेक्टेयर किस्म रास्ता भूमि पर पक्की दीवार मय टीनशेड का निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने में पर अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी कर विधिवत कार्यवाही करते हुए व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच अपीलार्थी का विवादित राजकीय बिलानाम रास्ता भूमि पर अतिक्रमण पाया जाने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि पटवारी हल्का, उड द्वारा

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय सिरोही

संवत 2079 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम उड, पटवार हल्का उड के खसरा संख्या 203 रकबा 0–0040 हेक्टेयर किस्म रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर पक्की दीवार मय टीनशेड का निर्माण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया कि राजस्व रेकर्ड में ग्राम उड, पटवार उड के खसरा संख्या 203 रकबा 0–0040 हेक्टेयर भूमि किस्म रास्ता भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त रास्ता भूमि पर दीवार मय टीनशेड का निर्माण करवाकर अतिक्रमण किया गया है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज किस्म रास्ता राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध किया है। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरुप प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी खारिज की जाती है। साथ ही, तहसीलदार, सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम उड, पटवार हल्का उड के खसरा संख्या 203 किस्म रास्ता राजकीय बिलानाम भूमि एवं अडौस–पडौस की भूमि का टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाये एवं सम्पूर्ण रास्ता भूमि से अतिक्रमण हटवाकर रास्ता खुलवाया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते सिरोही

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही